

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/ कार्तिक 15, 1937

No. 692]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/ KARTIKA 15, 1937

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

**सा.का.नि. 845(अ).**—भारत गणराज्य और इण्डोनेशिया गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर 25 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और, इस संधि के अनुच्छेद 23 के पैरा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त प्रत्यर्पण संधि को 15 दिसम्बर, 2014 से प्रव्रत किया गया था;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

अतः अब, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 3 से भिन्न, इण्डोनेशिया गणराज्य पर लागू होंगे।

**अनुसूची**

**“भारत गणराज्य और इण्डोनेशिया गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संधि**

भारत गणराज्य की सरकार और इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "संविदाकारी राज्य" कहा गया है);

दोनों देशों के बीच संप्रभुता, समानता और आपसी लाभ के लिए परस्पर सम्मान के आधार पर अपराध का प्रशमन करने में सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

**अनुच्छेद - 1**

**प्रत्यर्पण का दायित्व**

संविदाकारी राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-प्रदेश में पाए गए और किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने या किसी दंड को अधिरोपित या प्रवर्तित करने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में वांछित किसी भी व्यक्ति को

इस संधि के उपबंधों के अधीन एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हैं, चाहे इस प्रकार का अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने के पूर्व या बाद में किया गया हो।

### **अनुच्छेद - 2**

#### **प्रत्यर्पणीय अपराध**

1. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा, यदि वह दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कैद किये जाने अथवा इससे कड़ी सजा के साथ दंडनीय है।
2. कोई अपराध तब भी प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा, यदि वह पैरा 1 में वर्णित अपराध को करने का प्रयास करने या उसकी साजिश रचने, उसे करने में सहायता करने या उकसाने या उसे करने के लिए प्रेरित करने या किसी के कहने पर या उसमें सहायक होने के लिए किया गया हो।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करते समय कि तथाकथित कृत्य दोनों पक्षों के कानूनों के अंतर्गत कोई अपराध होते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानून भगोड़े के आरोपित कृत्य को अपराध की उसी श्रेणी अथवा उन्हें उसी शब्दावली द्वारा अभिहित अपराध की श्रेणी में रखते हैं। वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के घटक तत्वों में किसी मत भिन्नता पर ध्यान दिये बिना आरोपित कृत्य की संपूर्णता को ध्यान में रखा जाएगा।
4. यदि कई अपराधों के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो और उनमें से कुछ ऐसे अपराध हैं, जो दोनों राज्यों में कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा द्वारा दंडनीय नहीं है तो सभी अपराधों के लिए प्रत्यर्पण किए जा सकता है, यदि वे इस संधि के उपबंधों के अनुसरण में अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हो और उनमें से कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जा रहा हो।
5. जहां किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग कराधान, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अथवा अन्य राजस्व मामलों से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए की गई हो, वहां प्रत्यर्पण से इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में उसी प्रकार का कर या शुल्क नहीं लगाया जाता है या उसमें उसी तरह के कराधान, शुल्क, सीमा-शुल्क या विदेशी मुद्रा विनियम नहीं है जैसे अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में है।
6. इस बात के होते हुए भी कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किए गए व्यक्ति का कृत्य पूरी या आंशिक तौर पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में हुआ कोई अपराध इस संधि के अनुच्छेद 3 (4) के प्रति पूर्वाग्रह हुए बिना इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पणीय होगा, यदि उस देश के कानून के अंतर्गत इसका प्रभाव या इसका भावी प्रभाव पूरी तौर पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-भाग में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के होने के घटक के रूप में माना जाएगा।
7. जहां प्रत्यर्पण के अनुरोध का उद्देश्य दी गई सजा को निष्पादित करना है, तो प्रत्यर्पणीय अपराध में काटी जाने के लिए शेष सजा छह माह से कम की नहीं होनी चाहिए।

### **अनुच्छेद - 3**

#### **प्रत्यर्पण से इंकार**

#### **अनिवार्य आधार**

1. प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, यदि:
  - (क) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का अपराध हो;
  - (ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के पास यह मानने का पर्याप्त आधार हो की मांगे गए व्यक्ति के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, राजनितिक विचारधारा के कारण उस पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो या उस व्यक्ति के विरुद्ध उक्त कारणों में से किसी कारणवश न्यायिक कार्यवाहियों में भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाएगा;

(ग) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, एक सैन्य अपराध हो, जो की सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं हो।

(घ) अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध कालातीत हो जाने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या क्षमादान के कारण उसकी सजा प्रवृत्त नहीं की जा सकती।

(ङ) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के लिए मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम निर्णय सुनाया जा चुका है;

(च) जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य इस बात की गारंटी नहीं देता है कि मांगा गया व्यक्ति यदि समर्पण करता है, तो उसे आरोपी के रूप में माना जाएगा, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में दिए गए निर्णय के अनुसरण में अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

(छ) वह अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत मृत्युदंड द्वारा दंडनीय हो, जबकि ऐसे अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत मृत्युदंड के द्वारा दंडनीय नहीं हो, जब तक की अनुरोधकर्ता राज्य यह आशवासन न दे कि यदि उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित को राजनीतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:

(क) राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने का अपराध;

(ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत किया गया, कोई अपराध जिसका राज्य पक्षकार होने के कारण दोनों संविदाकारी पक्षकारों को मांगे गए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने या उस पर मुकदमा चलाने या मामले को बिना किसी विलम्ब के अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों को मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तुत करने का दायित्व हो;

(ग) आंतकवाद से संबंधित अपराध जिसे के अनुरोध करते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत राजनितिक स्वरूप का अधिकार नहीं समझा जाता है;

(घ) किसी भी पूर्ववर्ती अपराधो को करने का प्रयास करना या उसकी साजिश रचना या ऐसे अपराध करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के सहायक के रूप में भाग लेने।

3. शारीरिक तौर पर, व्यक्ति, जीवन और संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे किसी गंभीर अपराध को, चाहे वह राजनितिक दृष्टिकोण से क्यों न प्रेरित हो, इस संधि के प्रयोजनार्थ राजनितिक अपराध नहीं माना जाएगा।

#### **ऐच्छिक आधार**

4. उन मामलो में प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है, जिनमें कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का, अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उस अपराध जिसके लिए कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, क्षेत्राधिकार है। ऐसी परिस्थिति में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने न्यायालयों में वांछित/अपराधों के सम्बन्ध में वांछित व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं या किन्हीं कारणों से मुकदमा चलाया जाना व्यवहार्य नहीं होता है, तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

#### **अनुच्छेद - 4**

##### **राष्ट्रीयता**

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण से इंकार करने का अधिकार होगा।

2. यदि पैरा 1 के अनुसरण में प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है, तो अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार जिन अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, उसके संबंध में आपराधिक अभियोजन हेतु मामले को अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजनार्थ अनुरोधकर्ता राज्य मामले से संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को उपलब्ध कराएगा।

3. वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता उस अपराध के समय के आधार पर तय की जाएगी, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

**अनुच्छेद - 5****केंद्रीय प्राधिकरण**

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस संधि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक केंद्रीय प्राधिकरण नामित करेगा।
2. भारत गणराज्य की सरकार के लिए विदेश मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण होगा और इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार के लिए विधि एवं मानवाधिकार मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण होगा।

**अनुच्छेद - 6****प्रत्यर्पण अनुरोध और दस्तावेज**

1. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध और उससे संबंधित से सभी पत्र व्यवहार किसी संविदाकारी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण को राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा:
2. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
  - (क) वांछित व्यक्ति का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, लिंग, राष्ट्रियता, अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज, यदि कोई हो, व्यवसाय, वांछित व्यक्ति का संभावित स्थान, शारीरिक विवरण, फोटो, उस व्यक्ति की अंगुलियों के निशान शामिल हैं तथा ऐसी जानकारी जिससे उस व्यक्ति को पहचानने एवं उसका पता लगाने में मदद मिल सके;
  - (ख) इस मामले का संक्षिप्त विवरण, अपराध का विवरण, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है जिससे अपराध करने का समय और स्थान तथा कानून के तहत उन्हें दी गई सजा शामिल है;
  - (ग) अपराध और सजा निर्धारित करने वाले वैधानिक प्रावधानों और अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने अथवा सजा सुनाने की अवधि के सीमा जैसा भी मामला हो, से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पाठ।
3. यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मुकदमा से संबंधित है तो इसमें प्रत्यर्पण के प्रयोजन से किस न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट; कथित अपराधों में संलिप्त अपराधी अपराधी से संबंधित चार्जशीट अथवा आरोपपत्र और ऐसा साक्ष्य शामिल किया जाएगा; जिससे उस पर मुकदमा चलाये जाने का औचित्य ठहराया जाए।
4. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध वांछित व्यक्ति पर सुनाई गई सजा से संबंधित होने की स्थिति में अंतिम फैसले की प्रमाणित प्रति और काटी गई सजा तथा काटी जाने वाली शेष सजा की अवधि से संबंधित विवरण शामिल किया जाएगा।
5. इस संधि के तहत प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध पर अनुरोधकर्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर (मुहर सहित) किये जाएंगे।
6. प्रत्यर्पण अनुरोध और उससे संबंधित सभी पत्र व्यवहार अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा।

**अनुच्छेद - 7****अनुपूरक सूचना**

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह समझता है की प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है तो वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य 30 (तीस) दिनों के भीतर अथवा संविदाकारी राज्यों को स्वीकार्य अवधि के भीतर अनुपूरक सूचना का अनुरोध कर सकता है।

**अनुच्छेद - 8****स्वैच्छिक अभ्यर्पण**

जब वांछित व्यक्ति प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए स्पष्ट तौर पर सहमत है कि वह अनुरोधकर्ता राज्य को अभ्यर्पित किये जाने का इच्छुक है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के तहत आगे की प्रत्यर्पण कार्यवाही के बिना उस व्यक्ति को यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर सकता है।

**अनुच्छेद - 9****अंतिम गिरफ्तारी**

1. अत्यावश्यक मामलों में संविदाकारी राज्य औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले प्रत्यर्पण के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य से किसी भगोड़े अपराधी की अंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार का अनुरोध इस संधि के अनुच्छेद-5, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) में उल्लिखित चैनलों अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों को स्वीकार्य अन्य चैनलों के माध्यम से लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. अंतिम गिरफ्तारी संबंधी अनुरोध में इस संधि के अनुच्छेद 6 (2) में उल्लिखित सूचना गिरफ्तारी वारंट होने संबंधी विवरण शामिल होगा और साथ ही यह विवरण अंतिम गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध किया जाएगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध के परिणाम के बारे में अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र सूचित करेगा।
4. अंतिम रूप से गिरफ्तारी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के साठ (60) दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
5. इस अनुरोध के पैरा 4 के अनुसरण में उस व्यक्ति की रिहाई से बाद में उसकी पुनः गिरफ्तारी और उस व्यक्ति की प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाही की शुरुआत पर रोक नहीं होगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बाद में प्रत्यर्पण संबंधी औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

**अनुच्छेद - 10****प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर निर्णय**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इसके राष्ट्रीय कानून के तहत उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप इस संधि के अंतर्गत किये गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार करेगा और अनुरोधकर्ता राज्य को अपने निर्णय के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में प्रत्यर्पण अनुरोध मानने से इंकार करता है, तो अनुरोधकर्ता राज्य को इसका इंकार करने का कारण अधिसूचित किया जाएगा।

**अनुच्छेद - 11****अभ्यर्पण**

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है तो संविदाकारी राज्य भगोड़े व्यक्ति के आत्मसमर्पण के समय, स्थान और उससे संबंधित अन्य संगत मामलों से सहमत होंगे। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को उस समयावधि की सूचना देगा जिस दौरान प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को आत्म समर्पण से पहले हिरासत में रखा गया था।
2. यदि अनुरोधकर्ता राज्य ने आत्म समर्पण के लिए स्वीकार्य तिथि के पश्चात् प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने अधिकार में नहीं लिया है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा और वह उसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए किये गए किसी नये अनुरोध पर विचार करने से इंकार कर सकता है।
3. यदि कोई संविदाकारी राज्य अपने नियंत्रण से परे कारणों से स्वीकार्य अवधि के भीतर प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति के आत्म समर्पण अथवा अधिकार में लेने में विफल रहता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य इस बारे में तुरंत अधिसूचित करेगा। संविदाकारी अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन प्रत्यर्पण किये जाने संबंधी नये समय और स्थान तथा उससे संबंधित संगत कानूनों पर सहमत होगा। इस मामले में, इस अनुच्छेद के पैरा-2 के प्रावधान लागू होंगे।

**अनुच्छेद-12****स्थगन और अस्थायी अभ्यर्पण**

1. यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यर्पण के अनुरोध के अतिरिक्त अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में कार्रवाई की जा रही है अथवा सजा दी जा रही है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण मंजूर करने का निर्णय लेने के

पश्चात् कार्यवाही का निष्कर्ष आने तक अथवा सजा पूरी होने तक प्रत्यर्पण स्थगित कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को इस स्थगन के बारे में सूचित करेगा।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से अनुरोधकर्ता राज्य में आपराधिक कार्यवाही पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोध के आधार पर वांछित व्यक्ति को अस्थाई तौर पर अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप सकता है, बशर्ते कि इससे वहां चल रही आपराधिक कार्यवाही में बाधा न आती हो और यह कि अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति को बिना शर्त और संगत कार्यवाही के निष्कर्ष प्राप्त होने के तुरंत बाद वापिस लौटा देता हो।

### अनुच्छेद-13

#### समवर्ती अनुरोध

जहां पर एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए उसी अपराध अथवा भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दो अथवा दो से अधिक देशों में यह निश्चित करने के लिए कि उन देशों में उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध प्राप्त होते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य निम्नलिखित सहित सभी संगत कारकों पर विचार करेगा:

- (क) क्या अनुरोध किसी संधि के अनुसरण में किया गया था;
- (ख) अपराधों की संगीनता;
- (ग) अपराधों के घटित होने का समय और स्थान;
- (घ) वांछित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;
- (ङ) अनुरोध की संबंधित तारीखें; और
- (च) दूसरे देश में बाद में प्रत्यर्पण की संभावना ।

### अनुच्छेद-14

#### विशिष्टता का नियम

इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण मंजूर किया गया है, उसके अभ्यर्पण से पहले उस व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध के लिए न तो कार्यवाही की जाएगी और न ही उसे सजा दी जाएगी और न तो उस व्यक्ति को किसी अन्य देश में पुनः प्रत्यर्पित किया जाएगा, जब तक कि:

- (क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस संबंध में पहले से सहमत न हो। ऐसी सहमति के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य दस्तावेज तथा इस संधि के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं;
- (ख) उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मुक्त होते हुए 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य को नहीं छोड़ा है अथवा वह व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से इसे छोड़ने के बाद अनुरोधकर्ता राज्य में वापस आ गया हो। तथापि, इस समयावधि में वह समय शामिल नहीं होगा जिस दौरान वह व्यक्ति उसके नियंत्रण से परे कारणों से अनुरोधकर्ता राज्य छोड़ने में असमर्थ रहता है; अथवा
- (ग) उसकी वापसी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथ्यों द्वारा प्रकट कोई कमतर अपराध जोकि उस अपराध से अलग है जिसके लिए प्रत्यर्पण वैध रूप से नहीं किया जा सकता।

### अनुच्छेद-15

#### संपत्ति का अभ्यर्पण

1. यदि अनुरोधकर्ता देश ऐसा अनुरोध करता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अपने राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक अपराध के अर्थागम और दस्तावेजों तथा अन्य संपत्ति को जब्त कर सकता है, जो उसके भू-भाग में पाए गए साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकते हैं अथवा मांगे गए व्यक्ति के कब्जे में पाए गए हैं तथा जब प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है, तो इस संपत्ति को अनुरोधकर्ता देश को समर्पित करेगा।

2. जब प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है, तो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित संपत्ति को समर्पित नहीं किया जाएगा, यदि मांगे गए व्यक्ति की मृत्यु, गायब होने अथवा भागने अथवा अन्य किसी कारण से प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश किसी अन्य लंबित आपराधिक कार्यवाही को संचालित करने के लिए, ऐसी कार्यवाही के निष्पादन तक उक्त उल्लिखित संपत्ति के समर्पण को आस्थगित कर सकता है कि अनुरोधकर्ता देश उसको वापस करने की शपथ लेता है।
4. ऐसी संपत्ति का समर्पण उस संपत्ति के प्रति अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अथवा किसी तीसरे पक्ष के किसी वैध अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जहां ये अधिकार मौजूद हैं। अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के अनुरोध पर कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् जहां तक संभव होगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को बिना प्रभार के समर्पित संपत्ति को शीघ्रता से वापस करेगा।

### **अनुच्छेद-16**

#### **पारस्परिक विधिक सहायता**

प्रत्येक संविदाकारी देश अपने कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक उस अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, से संबंधित आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के व्यापक उपाय अन्य देश को उपलब्ध करवाएगा।

### **अनुच्छेद-17**

#### **पारगमन**

1. जब अन्य संविदाकारी देश के भूभाग के जरिए तीसरे देश से किसी व्यक्ति को संविदाकारी देश में प्रत्यर्पित किया जाना है, तो वह अन्य संविदाकारी देश से पारगमन की अनुमति हेतु अनुरोध करेगा। यदि परिवहन के लिए वायुयान का प्रयोग किया जाना है तथा अन्य संविदाकारी देश के भूभाग में वायुयान उतरना निर्धारित नहीं है, तो ऐसे किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं है।
2. अनुरोध प्राप्तकर्ता देश, जहां तक उसके राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, तो अनुरोधकर्ता देश द्वारा किए गए पारगमन हेतु अनुरोध को स्वीकार करेगा।
3. यदि अन्य संविदाकारी देश के भूभाग में वायुयान को अनिर्धारित उतारा जाता है, तो पारगमन पैरा 1 के प्रावधान की शर्त पर किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, तो वह संविदाकारी देश पारगमन के अनुरोध की प्रतीक्षा करते समय 96 (छियानवे) घंटों की अवधि के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में रखेगा।

### **अनुच्छेद-18**

#### **परिणाम की अधिसूचना**

अनुरोधकर्ता देश प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे अथवा सजा के निष्पादन के परिणाम अथवा तीसरे देश को इस व्यक्ति के पुनः प्रत्यर्पण से संबंधित सूचना के बारे में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को शीघ्र सूचित करेगा।

### **अनुच्छेद-19**

#### **व्यय**

अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय का वहन उसी राज्य द्वारा किया जायेगा। प्रत्यर्पित व्यक्ति के समर्पण अथवा उसे अधिकार में लेने से संबंधित परिवहन व्यय तथा पारगमन व्यय का वहन अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा किया जाएगा।

### **अनुच्छेद-20**

#### **अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व**

इस संधि से अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय अथवा अन्य व्यवस्थाओं, जिसके वे पक्षकार हैं, के अनुसरण में प्रत्यर्पण के संबंध में संविदाकार राज्यों के अधिकार व दायित्व प्रभावित नहीं होंगे।

**अनुच्छेद-21****मतभेदों का समाधान**

इस संधि की व्याख्या एवं प्रवर्तन से उत्पन्न हर मतभेद का समाधान संविदाकार राज्य द्वारा राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श द्वारा किया जाएगा।

**अनुच्छेद-22****संशोधन**

संविदाकार राज्यों की आपसी सहमति से इस संधि को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया वहीं होगी, जो इस संधि को लागू करने के लिए है।

**अनुच्छेद-23****अंतिम प्रावधान**

1. संविदाकार देश इस संधि को लागू करने के लिए अपनी संबद्ध घरेलू अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह संधि बाद की अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से लागू होगी।

2. प्रत्येक संविदाकार देश किसी भी समय राजनयिक माध्यमों से अन्य संविदाकार राज्य को लिखित नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के छः महीनों के बाद यह संधि समाप्त हो जायेगी। इस संधि की समाप्ति से संधि समाप्त होने से पहले किए गए प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध प्रभावित नहीं होंगे।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज वर्ष 2011 के जनवरी माह के 25वें दिन हिंदी, इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

**भारत गणराज्य की ओर से**

**इण्डोनेशिया गणराज्य की ओर से**

[टी 413/17/2003]

पी. कुमारन, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****ORDER**

New Delhi, the 6<sup>th</sup> November, 2015

**G.S.R. 845(E).**—Whereas, the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Indonesia was signed at New Delhi on 25<sup>th</sup> day of January, 2011;

And Whereas, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of December, 2014 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 23 of the Treaty;

And Whereas, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) read with sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Indonesia.

**SCHEDULE****“Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Indonesia**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “the Contracting States”);

Desiring to make more effective cooperation between the two Countries in the suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit;

**HAVE AGREED** as follows:



**ARTICLE 1****OBLIGATION TO EXTRADITE**

Each Contracting State agrees to extradite to the other, subject to the provisions of this Treaty, any person who may be found in the territory of the Requested State and is wanted in the Requesting State for prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

**ARTICLE 2****EXTRADITABLE OFFENCES**

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws in both States, by imprisonment for a period of at least one year or by a more severe penalty.
2. An offence shall also be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counseling or procuring the commission of or being an accessory to the commission of an offence described in Paragraph 1.
3. For the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence/s or denominate the offence/s by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence/s for which the extradition is requested.
4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment in both States, extradition may be granted for all offences if it meets the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and includes grant of extradition of at least one extraditable offence.
5. Whether extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not provide for a tax, duty, customs or foreign exchange regulation of the same kinds as the laws of the Requesting State.
6. Without prejudice to Article 3 (4) of this Treaty, an offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.
7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence must not be less than six months.

**ARTICLE 3****REFUSAL OF EXTRADITION****MANDATORY GROUNDS**

1. Extradition shall not be granted where:
  - a. the offence for which the extradition is requested is a political offence;
  - b. the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of these reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;
  - c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;
  - d. the person sought cannot be prosecuted because of the laps of time under the laws of the Requesting State or his sentence cannot be enforced by reason of pardon;
  - e. a final judgment has been passed against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
  - f. the request for extradition is made by the Requesting State pursuant to a judgment rendered in *absentia*, unless the Requesting State guarantees that the person sought, if surrendered, would be treated as an accused person.
  - g. the offence for which extradition is requested, is punishable by death penalty under the law of the Requesting State, while under the law of the Requested State such as offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting State gives an assurance that if that person is awarded the death penalty, the same will not be carried out.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:
  - a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;
  - b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without under delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;
  - c. offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;
  - d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.
3. Serious offences against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this Treaty.

#### **OPTIONAL GROUNDS**

4. Extradition may not be granted where the Requested State has jurisdiction over the offence for which the extradition is requested, under its national law. In such a situation, the Requested State shall have the obligation to prosecute the person wanted in respect of the offence/s sought for in its courts in accordance with its laws. If the competent authorities of the Requested State decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered.

#### **ARTICLE 4**

##### **NATIONALS**

1. Each Contracting State shall have the right to refuse extradition of its own nationals.
2. If extradition is not granted pursuant to Paragraph 1, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its competent authorities for criminal prosecution in respect of the offence/s sought for in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting State shall provide the Requested State the documents and evidence relating to the case.
3. The nationality of the person sought shall be determined as at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

#### **ARTICLE 5**

##### **CENTRAL AUTHORITIES**

1. Each Contracting State shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. For the Government of the Republic of India, the Central Authority shall be the Ministry of External Affairs and for the Government of the Republic of Indonesia, the Central Authority shall be the Ministry of Law and Human Rights.

#### **ARTICLE 6**

##### **EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS**

1. A request for extradition and all communications relating thereto will be sent by the Central Authority of a Contracting State to the Central Authority of the other Contracting State through Diplomatic Channels.
2. A request for extradition shall be accompanied with the following:
  - a. description of the person sought including the name, age, gender, nationality, other identification documents, if any, occupation, probable location of the person sought, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and the information that may help identifying and locating that person;
  - b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence/s for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence/s and other punishment provided for them under the Law;
  - c. the text of the legal provisions determining the offence and the punishment and legal provisions regarding limitation of period for prosecution or enforcing of sentence as the case may be in respect of the offence/s.
3. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by: warrant of arrest issued by a court or other competent authority for the purpose of extradition; a charge sheet or indictment charging the accused with the alleged offence/s; and such evidence as would justify his committal for prosecution.
4. Where the request for extradition relates to the executing of a sentence imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final judgment and a statement of the period of sentence which has already been served and remains to be served.

5. A request for extradition under this treaty shall be signed and sealed by the competent authority of the Requesting State.
6. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the English language.

#### **ARTICLE 7**

##### **ADDITIONAL INFORMATION**

If the Requested State considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, that Requested State may request additional information within 30 (thirty) days or within a period as may be agreed between the Contracting States.

#### **ARTICLE 8**

##### **VOLUNTARY SURRENDER**

When a person sought explicitly consents before the court during extradition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting State, the Requested State, subjects to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

#### **ARTICLE 9**

##### **PROVISIONAL ARREST**

1. In urgent cases, a Contracting State may request the other Contracting State for the provisional arrest of a fugitive criminal for the purpose of extradition before a formal extradition request is submitted. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 5 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed by both Contracting States.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6 (2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest.
3. The Requested State promptly inform the Requesting State of the result of the request for provisional arrest.
4. The person arrested provisionally shall be released if, within a period of sixty (60) days of his/her arrest, the competent authorities of the Requested State has not received the formal request for extradition.
5. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of that person if the Requested State has subsequently received the formal request for extradition.

#### **ARTICLE 10**

##### **DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION**

1. The Requested State shall consider an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting State of its decision.
2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

#### **ARTICLE 11**

##### **SURRENDER**

1. If the extradition has been granted by the Requested State, the Contracting States shall agree on the time, place and other relevant matters relating to the surrender of the fugitive. The Requested State shall inform the Requesting State of the period of time for which the person to be extradited was detained prior to the surrender.
2. If the Requesting State has not taken over the person to be extradited within 15 (fifteen) days after the date agreed for surrender, the Requested State shall release that person immediately and may refuse to consider a fresh request by the Requesting State for extradition of that person for the same offence.
3. If a Contracting State fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other Contracting States shall be notified promptly. The Contracting States shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition subject to their national laws. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

#### **ARTICLE 12**

##### **POSTNEMENT AND TEMPORARY SURRENDER**

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested State may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of the postponement.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting State, the Requested State may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting State, provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting State undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

### **ARTICLE 13**

#### **CONCURRENT REQUESTS**

Where requests for extradition are received from two or more Countries for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those Countries the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- a. whether the request was made pursuant to a treaty;
- b. the gravity of the offence/s;
- c. the time and place of the commission of the offence/s;
- d. the nationality of the person sought and of the victim/s;
- e. respective dates of the requests; and
- f. the possibility of subsequent extradition to another Country.

### **ARTICLE 14**

#### **RULE OF SPECIALITY**

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against nor subjected to the execution of sentence in the Requesting State for an offence committed by that person before his surrender other than the offence for which the extradition is granted, not shall that person be re-extradited to a third Country, unless:

- a. the Requested State has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested State may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty;
- b. that person has not left the Requesting State within 30 (thirty) days after having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting State after leaving it. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his control; or
- c. any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his return, other than an offence for which extradition could not lawfully be made.

### **ARTICLE 15**

#### **SURRENDER OF PROPERTY**

1. If the Requesting State so requests, the Requested State shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting State.

2. When the extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.

3. The Requested State may, for conducting any other pending criminal proceeding, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting State undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested State or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting State shall, at the request of the Requested State, promptly return the surrendered property without charge to the Requested State as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

### **ARTICLE 16**

#### **MUTUAL LEGAL ASSISTANCE**

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

### **ARTICLE 17**

#### **TRANSIT**

1. When a person is to be extradited to a Contracting State from a third Country through the territory of the other Contracting State, it shall request the other Contracting State for the permission of transit. No such request is required where air transpiration is used and no landing in the territory of the other Contracting State is scheduled.

2. The Requested State shall, in so far as not contrary to its national law, grant the request for transit made by the Requesting State.

3. If an unscheduled landing in the territory of the other Contracting State occurred, transit shall be subjected to the provision of Paragraph 1. That Contracting State may, in so far not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 96 (ninety six) hours while waiting the request of transit.

#### **ARTICLE 18**

#### **NOTIFICATION OF RESULT**

The Requesting State shall inform the Requested State promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third Country.

#### **ARTICLE 19**

#### **EXPENSES**

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested State shall be borne by that State. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting State.

#### **ARTICLE 20**

#### **INTERNATIONAL OBLIGATION**

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

#### **ARTICLE 21**

#### **SETTLEMENT OF DIFFERENCES**

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Contracting States through diplomatic channels.

#### **ARTICLE 22**

#### **AMMENDMENT**

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting States. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this treaty.

#### **ARTICLE 23**

#### **FINAL PROVISIONS**

1. The Contracting States shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the later notification.

2. Either Contracting States may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Contracting State through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi on this 25<sup>th</sup> day of January, 2011, in two originals each in the Hindi, Indonesian and English languages, all text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.”

[F. No. T-413/17/2003]

P. KUMARAN, Jt. Secy. (CPV)